[2019] 1 एस. सी. आर 954

वी. सुरेंद्र मोहन

वी.

तमिलनाडु और ओआरएस का राज्य।

(2019 की सिविल अपील संख्या 83)

22 जनवरी, 2019

[अशोक भूषण और के. एम. जोसेफ, जे. जे.]

विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995-तमिलनाडु लोक सेवा आयोग (टी. एन. पी. सी.) को सिविल जज (जूनियर डिवीजन) टी. एन. पी. सी. के 162 पदों के लिए राज्य सरकार से अनुरोध प्राप्त हुआ।

आंशिक रूप से नेत्रहीन और आंशिक रूप से बधिर के लिए अक्षमता के प्रतिशत को 40% -50% के रूप में अधिसूचित करें-राज्य सरकार ने दिनांकित 08.08.2014 के आदेश द्वारा अक्षमता के प्रतिशत के साथ आगे बढ़ने के निर्णय को सूचित किया।

उच्च न्यायालय के परामर्श से आंशिक रूप से नेत्रहीन और आंशिक रूप से बधिर के लिए 40% -50% के रूप में अक्षमता-इसके अनुसार, टी. एन. पी. सी. ने सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाली अधिसूचना जारी की-अपीलकर्ता आंशिक रूप से नेत्रहीन श्रेणी के तहत चयन प्रक्रिया में उपस्थित हुआ अपीलार्थी को जारी किए गए अक्षमता प्रमाणपत्र में उसकी अक्षमता का उल्लेख 70 प्रतिशत के रूप में किया गया है-लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी-नाम

अपीलार्थी को सफल उम्मीदवारों की सूची में शामिल नहीं किया गया था-अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिका-उच्च न्यायालय ने माना कि सरकारी आदेश दिनांक 08.08.2014 और टी. एन. पी. सी. द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 40% -50% विकलांगता के साथ आंशिक रूप से अंधे केवल चयन प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र थे। द.

विज्ञापन-अधिसूचना में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि सिविल न्यायाधीश के पद की पहचान अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत विकलांगता प्रमाण पत्र के साथ अलग-अलग सक्षम व्यक्तियों के आंशिक रूप से बधिर/आंशिक रूप से नेत्रहीन/ऑर्थो श्रेणियों के लिए उपयुक्त के रूप में की गई थी।

70 प्रतिशत की अक्षमता वाले अपीलार्थी, जिसने उसे अधिसूचना द्वारा विज्ञापित सिविल न्यायाधीश के पद के लिए अयोग्य बना दिया, क्योंकि पद के लिए आवश्यक अक्षमता केवल 40% -50% थी-उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की -

तमिलनाडु राज्य न्यायिक सेवा (संवर्ग और भर्ती) नियम, 2007।

954 वी. सुरेंद्र मोहन बनाम। तमिलनाडु राज्य

विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, संरक्षण)

अधिकार और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995-40% -50% की शर्त विकलांगों की आंशिक रूप से अंधे और आंशिक रूप से बधिर श्रेणियों के लिए अक्षमता

सिविल न्यायाधीशों (जूनियर) की भर्ती के लिए अधिसूचना में व्यक्ति

प्रभाग) लोक सेवा आयोग द्वारा जारी-तमिलनाडु लोक सेवा आयोग (टी. एन. पी. सी.) ने अधिसूचना जारी की

सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के 162 पदों के लिए और विकलांग व्यक्तियों की आंशिक रूप से अंधे और आंशिक रूप से बधिर श्रेणियों के लिए अक्षमता की घोषणा की गई-आयोजितः न्यायिक सेवा का जनता का हिस्सा होना

के पद पर चयन के लिए योग्यता निर्धारित करने के लिए सशक्त सिविल जज (जूनियर डिवीजन)-40% -50% होने की शर्त

लोक सेवा आयोग द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद राज्य द्वारा जारी सरकारी आदेश के अनुसार अक्षमता निर्धारित की गई थी-राज्य के विचार में आम सहमति थी

सरकार, लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय कि

अक्षमता से पीड़ित आंशिक रूप से अंधे और आंशिक रूप से बधिर व्यक्तियों को भर्ती में भाग लेने की अनुमति दी जाए, जिनके पास अक्षमता है

40 % -50 % - इस प्रकार, विकलांग व्यक्तियों की आंशिक रूप से अंधे और आंशिक रूप से बधिर श्रेणियों के लिए 40% -50% विकलांगता की स्थिति नहीं हो सकती है। अमान्य कहा गया-तमिलनाडु राज्य न्यायिक सेवा (संवर्ग और भर्ती) नियम, 2007।

विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, संरक्षण)

सेवा आयोग (टीएनपीसी) ने 162 पदों के लिए अधिसूचना जारी की सिविल जज (जूनियर डिवीजन) और घोषित 40% -50% विकलांगता

विचाराधीन चयन के लिए आंशिक रूप से अंधे और आंशिक रूप से बधिर के लिए

-

अपीलार्थी ने तर्क दिया कि अधिनियम, 1995 में किसी भी तरह के प्रतिबंध का प्रावधान नहीं है कि पात्रता केवल उन लोगों की है जो विकलांगता से पीड़ित हैं।

40% -50% का आयोजनः अधिनियम, 1995 की धारा 33 यह अपेक्षा करती है कि प्रत्येक

समुचित सरकार प्रत्येक प्रतिष्ठान में ऐसी नियुक्ति करेगी कि -

विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग के लिए तीन प्रतिशत से कम रिक्तियों का प्रतिशत, जिनमें से प्रत्येक का एक प्रतिशत होगा

अंधेपन या कम दृष्टि से पीड़ित व्यक्तियों के लिए आरक्षित -

वर्तमान ऐसा मामला नहीं है जहां प्रत्यर्थी ने एस द्वारा आवश्यक आंशिक विकलांगता के लिए पद आरक्षित नहीं किया है। 33 अधिनियम, 1995-इस प्रकार,

एस द्वारा अनिवार्य आरक्षण की आवश्यकता। 33 स्पष्ट रूप से पूरा किया गया है-राज्य, जो [2019] 1 एस. सी. आर. में लोक सेवा प्राधिकरण की नियुक्ति कर रहा है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिविल पद के संबंध में उच्च न्यायालय के साथ परामर्श

न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग) बहुत अच्छी तरह से पद के लिए आवश्यक योग्यताओं और आवश्यकता को निर्धारित कर सकते हैं जब राज्य, उच्च

न्यायालय और लोक सेवा आयोग का विचार है कि अक्षमता, जो सिविल न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त है, 40% -50% के बीच होनी चाहिए, उक्त प्रिस्क्रिप्शन किसी का उल्लंघन नहीं करता है।

सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर भर्ती के संबंध में निर्णय, सांविधिक नियम, 2007 के पूरक-तमिलनाडु राज्य न्यायिक सेवा (संवर्ग और भर्ती) नियम, 2007।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा, पकड़नाः क्या अपीलार्थी जो पीड़ित था

70 प्रतिशत की अक्षमता (दृष्टिबाधित) तमिलनाडु लोक सेवा आयोग की अधिसूचना दिनांक 26.08.2014 के अनुसार चयन में भाग लेने के लिए पात्र थी?

1. सरकारी आदेश दिनांक 08.08.2014 ने राज्य सरकार के परामर्श से लिए गए निर्णय को सूचित किया

उच्च न्यायालय सिविल न्यायाधीश के 162 पदों के चयन के लिए आंशिक रूप से नेत्रहीन और आंशिक रूप से बधिर के लिए अक्षमता के प्रतिशत को 40-50% के रूप में अधिसूचित करते हुए सिविल न्यायाधीश के पद के लिए चयन के साथ आगे बढ़ेगा। [पैरा 13] [966-बी-सी]

2. दिनांक 26.08.2014 के विज्ञापन में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि सिविल जज के पद की पहचान अलग-अलग सक्षम व्यक्तियों (40% -50% विकलांगता) की आंशिक रूप से बधिर/आंशिक रूप से अंधे/ऑर्थो श्रेणियों के लिए उपयुक्त के रूप में की गई है। वी. सुरेंद्र मोहन बनाम द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में।

तमिलनाडु राज्य

उसके मामले में अक्षमता 70 प्रतिशत है। इस प्रकार, अपीलार्थी के अपने मामले के अनुसार, वह 70 प्रतिशत की अक्षमता से पीड़ित था, जिसने उसे अधिसूचना दिनांक 26.08.2014 द्वारा विज्ञापित सिविल न्यायाधीश के पद के लिए अयोग्य बना दिया क्योंकि पद के लिए आवश्यक अक्षमता केवल 40% -50% थी। इस प्रकार, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र कि वह 70 प्रतिशत अक्षमता से पीड़ित है, वह अधिसूचना दिनांक 26.08.2014 के माध्यम से विज्ञापित पद के लिए अयोग्य था। द. इस मुद्दे का जवाब उसी के अनुसार दिया जाता है। [पैरा 14] [966-जी-एच; 967-ए-बी]

3. रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान अपीलार्थी द्वारा सरकार को निरस्त करने के लिए एक संशोधन आवेदन दायर किया गया था।

08.08.2014 दिनांकित पत्र जिसे उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन आवेदन की अनुमति दी गई थी और यहां तक कि अपीलार्थी द्वारा दायर संशोधन आवेदन में भी टी. एन. पी. सी. द्वारा जारी 26.08.2014 अधिसूचना को चुनौती नहीं दी गई थी। अपीलार्थी को आंशिक अंधेपन के संबंध में पात्रता की शर्त पर सवाल उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, अर्थात 40% -50% जब वह उक्त आवश्यकता के लिए 26.08.2014 दिनांकित विज्ञापन को चुनौती देने में विफल रहा। द.

अपीलार्थी ने उपरोक्त विज्ञापन के अनुसरण में आवेदन किया और

लिखित परीक्षा में भाग लिया और जब उन्हें मौखिक परीक्षा के लिए नहीं बुलाया गया, तो उन्होंने रिट याचिका दायर की। यह उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के तहत था कि उन्हें मौखिक परीक्षण में भाग लेने की अनुमति दी गई थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश द्वारा घोषणा नहीं करने का निर्देश दिया था अपीलार्थी का परिणाम। अपीलार्थी दिनांकित 26.08.2014 अधिसूचना के खंड 4 (F) को चुनौती देने में विफल रहने के कारण, उसे 40% -50% आंशिक अंधेपन की शर्त को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। [पैरा 16] [967-एफ-एच; 968-ए]

क्या विकलांग व्यक्तियों की आंशिक रूप से नेत्रहीन और आंशिक रूप से बधिर श्रेणियों के लिए 40% -50% अक्षमता की स्थिति मान्य है। स्थिति?

4. तमिलनाडु लोक सेवा आयोग को संबोधित सरकारी आदेश दिनांक 08.08.2014 में कहा गया है कि उच्च अदालत ने तमिलनाडु लोक सेवा आयोग के दिनांकित 04.08.2014 पत्र पर विचार किया है और प्रस्ताव [2019] 1 एस. सी. आर. को स्वीकार कर लिया है।

आंशिक रूप से नेत्रहीन और आंशिक रूप से बधिर के लिए विकलांगता के प्रतिशत को 40- 50% के रूप में अधिसूचित करते हुए सिविल न्यायाधीश के पदों के लिए चयन के साथ आगे बढ़ना। इस प्रकार, सरकारी आदेश उच्च न्यायालय के उचित परामर्श के बाद जारी किया गया था, जो सहमत था

सिविल जज (जूनियर) के पद के लिए आंशिक रूप से नेत्रहीन और आंशिक रूप से बधिर के लिए अक्षमता का प्रतिशत 40% -50% के रूप में प्रदान करना।

प्रभाग)। [पैरा 17] [968-बी-सी]

5. राज्य सरकार ने लोक सेवा आयोग के साथ-साथ उच्च न्यायालय दोनों से परामर्श किया है

सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर विकलांग व्यक्तियों की नियुक्ति। राज्य सरकार, लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय के विचार में आम सहमति है कि दिव्यांगता से पीड़ित आंशिक रूप से नेत्रहीन और आंशिक रूप से बधिर व्यक्तियों को भर्ती में भाग लेने की अनुमति दी जाए, जिनके पास 40% -50% की विकलांगता हो। उच्च न्यायालय न्यायिक सेवा में नियुक्ति की आवश्यकताओं के बारे में अच्छी तरह से जानता है और यह अधीनस्थ न्यायपालिका का संरक्षक होने के नाते, एक व्यक्ति की पात्रता में अपनी बात रखता है, जो सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) के पद पर नियुक्ति चाहता है। न्यायिक सेवा लोक सेवा का हिस्सा होने के कारण, राज्य में उच्च न्यायालय के साथ परामर्श सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग) के पद पर चयन के लिए योग्यता निर्धारित करने के लिए पूरी तरह से सशक्त है। सरकारी आदेश दिनांक 08.08.2014 नियम, 2007 का पूरक है और किसी भी तरह से नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है। 40% -50% विकलांगता होने की शर्त लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित की गई थी

उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद तमिलनाडु राज्य द्वारा जारी सरकारी आदेश। उपरोक्त शर्त को किसी भी तरह से अमान्य नहीं कहा जा सकता है। [पैरा 35] [977-ई-एच]

क्या राज्य सरकार का निर्णय दिनांकित पत्र 08.08.2014 के माध्यम से उस शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को प्रदान करता है कि

क्या आंशिक रूप से बधिर और आंशिक रूप से अंधे अकेले 40% -50% विकलांगता के हद तक पात्र हैं, क्या यह 1995 के अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है और अलग किए जाने के योग्य है? 6. विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 33 के अनुसार प्रत्येक उपयुक्त सरकार प्रत्येक प्रतिष्ठान में कम से कम रिक्तियों का प्रतिशत नियुक्त करेगी।

विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग के लिए तीन प्रतिशत से अधिक बनाम सुरेंद्र मोहन बनाम।

जिनमें से एक प्रतिशत अंधेपन या कम दृष्टि से पीड़ित व्यक्तियों के लिए आरक्षित होगा। [पैरा 36] [978-बी]

7. विकलांग व्यक्तियों के लिए पदों के आरक्षण के संबंध में कानूनी स्थिति अच्छी तरह से स्थापित है कि प्रत्येक

उपयुक्त सरकार व्यक्तियों के लिए पद आरक्षित करने के लिए बाध्य है

या विकलांग व्यक्तियों का वर्ग। वर्तमान मामले में, चिंता आंशिक अक्षमता के साथ है। वर्तमान ऐसा मामला नहीं है जहां प्रत्यर्थी ने अधिनियम, 1995 की धारा 33 द्वारा आवश्यक आंशिक विकलांगता के लिए पद आरक्षित नहीं किया है। इस प्रकार, धारा 33 द्वारा अनिवार्य आरक्षण की आवश्यकता स्पष्ट रूप से पूरी होती है। मुद्दा चयन में भाग लेने के लिए अपीलार्थी की पात्रता के बारे में है और क्या विज्ञापन में यह आवश्यकता है कि केवल वे लोग, जो 40% -50% की अक्षमता से पीड़ित हैं, पात्र हैं, अधिनियम, 1995 के विपरीत है या किसी भी वैधानिक उल्लंघन में है।

प्रावधान। राज्य, जो सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद के संदर्भ में उच्च न्यायालय के परामर्श से लोक सेवा प्राधिकरण की नियुक्ति कर रहा है, इस पद के लिए आवश्यक योग्यताओं और आवश्यकताओं को बहुत अच्छी तरह से निर्धारित कर सकता है। जब राज्य, उच्च न्यायालय और लोक सेवा आयोग का विचार है कि सिविल न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त अक्षमता 40% -50% के बीच होनी चाहिए, तो उक्त पर्ची किसी भी वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं करती है और न ही अधिनियम, 1995 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करती है। यह नौकरी की प्रकृति को देखते हुए पात्रता निर्धारित करने के लिए प्राधिकरण की नियुक्ति की शक्ति के भीतर है, जिसे किसी पद के धारक द्वारा किया जाना है। [पैरा 39] [979-ई-एच; 980-ए]

8. प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा ऊपर दिए गए कारणों ने 50 प्रतिशत की सीमा तक विकलांगता की आवश्यकता को पूरी तरह से उचित ठहराया जो उचित, न्यायसंगत और उचित है। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की। पूर्वगामी चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद के लिए भर्ती के लिए 40% -50% की सीमा तक विकलांगता का प्रिस्क्रिप्शन वैध था और यह अधिनियम, 1995 या किसी अन्य वैधानिक प्रावधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है। [पैरा 41] [981-ए-बी]

भारत सरकार बनाम। रवि प्रकाश गुप्ता और एक अन्य (2010) 7 एससीसी 626: [2010] 7 एस. सी. आर. 851; भारत संघ और एक अन्य v. नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड [2019] 1 एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और अन्य (2013) 10 एससीसी 772: [2013] 9 एससीआर 1023 -

पर भरोसा किया।

बिहार राज्य और एक अन्य v. बाल मुकुंद साह और

अन्य (2000) 4 एस. सी. सी. 640: [2000] 2 एससीआर 299 - संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2000] 2 एससीआर 299

पै

रा 33

संदर्भित किया गया है

[2010] 7 एससीआर 851

उस पर भरोसा करें

पै

रा 36

उस पर भरोसा करें

[2013] 9 एससीआर 1023

पै

रा 37

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 83

2019 .

उच्च न्यायालय के 05.06.2015 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2015 के डब्ल्यू. पी. सं. 10582 में मद्रास में न्यायिक न्यायालय।

सिद्धार्थ दवे, सुश्री पूजा धर, सुश्री जेमटीबेन, सूर्य प्रकाश,

अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

के. एस. महादेवन, कृष्ण कुमार आर. एस., सुश्री स्वाति बंसल, राजेश

कुमार, एम. योगेश कन्ना, एस. राजा राजेश्वरन, जी. आनंद सेल्वम, सुश्री नर्मदा मीनाक्षी सुंदरम, ए. मणिकंदन, जय किशोर सिंह, सुश्री पुरबिका मित्रा, के. वी. विजयकुमार अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अशोक भूषण, जे. 1. अपीलार्थी द्वारा व्यथित

इस अपील में उनकी रिट याचिका को खारिज करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय का दिनांक 05.06.2015 का निर्णय आया है। अपीलार्थी आंशिक रूप से नेत्रहीन श्रेणी के तहत सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद के लिए चयन में उपस्थित हुआ।

2. इस अपील को जन्म देने वाले संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैंः विकलांग व्यक्तियों के अधिनियमन के बाद (समान)

अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (इसके बाद "अधिनियम, 1995" के रूप में संदर्भित) तमिलनाडु राज्य ने जी. ओ. दिनांक 11.04.2005 के अनुसार 117 श्रेणियों के पदों की पहचान की है।

प्रत्यक्ष भर्ती में ए और बी समूहों में उपयुक्त। समूह ए और बी के तहत पहचाने गए पदों की उपरोक्त सूची का मद No.102 निम्नलिखित प्रभाव से थाः

वी. सुरेंद्र मोहन बनाम। स्टेट ऑफ तमिल नाडु [अशोक भूषण, जे.]

" समूह ए और बी के तहत पहचाने गए पदों की सूची

श्रेणियाँ

एस. नं. भौतिक पद का नाम

श्रेणियाँ

समूह

विकलांग व्यक्ति

आवश्यकताएँ

और

नौकरी के लिए उपयुक्त

विभाग

102

राज्य न्यायिक

सेवा

एस/एसटी/डब्ल्यू/एसई/एच/आरडब्ल्यू

पीबी/पीडी/ओआरटीएचओ ए

दीवानी न्यायाधीश

मजिस्ट्रेट-प्रथम

वर्ग)

3. तमिलनाडु सरकार ने धारा को परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 31.08.2012 पर एक अधिसूचना भी जारी की थी। 33 तमिलनाडु राज्य न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) और सिविल न्यायाधीश के पद को पूर्ण अंधेपन और पूर्ण अक्षमता के संबंध में उक्त धारा 33 के प्रावधान से छूट देते हुए अधिनियम, 1995।

162 सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के चयन के लिए आंशिक रूप से बधिर। उच्च न्यायालय ने उपरोक्त प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी, जिसे तमिलनाडु राज्य ने भी मंजूरी दे दी थी। तमिलनाडु राज्य ने सिविल जज के 162 पदों के लिए अधिसूचना के साथ आगे बढ़ने के लिए टी. एन. पी. सी. को दिनांकित 08.08.2014 पत्र जारी किया, जिसमें विचाराधीन चयन के लिए आंशिक रूप से नेत्रहीन और आंशिक रूप से बधिर के लिए 40% -50% विकलांगता की घोषणा की गई। टी. एन. पी. सी. ने अधिसूचना

दिनांक 26.08.2014 जारी कर आवेदन आमंत्रित किए हैं। सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन माध्यम से।

5. अपीलार्थी, एक अधिवक्ता, ने अधिसूचना संख्या 15/2014 दिनांक 26.08.2014 के जवाब में ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया। "अक्षमता का प्रतिशत" कॉलम में अपीलार्थी ने "40 प्रतिशत से अधिक" का उल्लेख किया था। [2019] 1 एस. सी. आर. को भी विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया था।

10.10.2014 पर अपीलार्थी ने अपनी अक्षमता को 70 प्रतिशत बताया। लिखित परीक्षा 18.10.2014 और 19.10.2014 पर आयोजित की गई थी। परीक्षण पूरा होने के बाद टी. एन. पी. सी. ने अपीलार्थी को संबंधित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां जमा करने के लिए एक पत्र जारी किया, जिसमें यह निर्दिष्ट करते हुए कि उसकी शारीरिक अक्षमता उसे सिविल न्यायाधीश के पद के लिए अपने आधिकारिक कर्तव्यों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करने में असमर्थ नहीं बनाएगी, चिकित्सा बोर्ड से प्राप्त शारीरिक अक्षमता के प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता होती है। उक्त पत्र के जवाब में अपीलार्थी ने अपने प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जिनमें शामिल हैं - शारीरिक अक्षमता का प्रमाण पत्र दिनांकित 10.10.2014।

6. टीएनपीसी ने रजिस्टर नंबरों की सूची जारी की जो थे

मौखिक परीक्षण में अस्थायी रूप से भर्ती। सफल उम्मीदवारों की सूची में अपीलार्थी का नाम शामिल नहीं था। अपीलार्थी ने मद्रास उच्च न्यायालय में 2015 की रिट याचिका संख्या 10582 दायर की। मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 13.04.2015 का एक अंतरिम आदेश जारी किया गया था जिसमें निर्देश दिया गया था कि अपीलार्थी को वाइवा में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।

हालाँकि, अपीलार्थी का परिणाम एक सीलबंद लिफाफे में रखा जाएगा, जब तक कि उच्च न्यायालय द्वारा अगले आदेश पारित नहीं किए जाते। अपीलार्थी इस प्रकार साक्षात्कार में उपस्थित हुए, आयोग ने सीधी भर्ती के लिए अस्थायी रूप से चयनित उम्मीदवारों की एक सूची जारी की।

7. रिट याचिका में अपीलार्थी ने दिनांकित पत्र को रद्द करने के लिए एक प्रार्थना जोड़कर रिट याचिका में संशोधन करने के लिए एक आवेदन दायर किया

08.08.2014 राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया। अपीलार्थी के संशोधन आवेदन की अनुमति दी गई। रिट याचिका पर डिवीजन बेंच द्वारा सुनवाई की गई और अपने दिनांकित 05.06.2015 के फैसले के माध्यम से उच्च न्यायालय ने कहा कि सरकार के दिनांकित 08.08.2014 और अधिसूचना के निर्णय के अनुसार टी. एन. पी. सी. द्वारा दिनांक 26.08.2014 द्वारा जारी आंशिक रूप से विकलांग 40% -50% केवल पात्र थे और 70 प्रतिशत विकलांग अपीलार्थी चयन में भाग लेने के लिए पात्र नहीं थे। डिवीजन बेंच के फैसले से व्यथित अपीलार्थी इस अपील में आया है।

8. अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग) के पद की पहचान अधिनियम, 1995 की धारा 32 के तहत की गई है, 40% -50% की सीमा तक विकलांगता का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। वह प्रस्तुत करता है कि पूर्ण अंधेपन के लिए धारा 33 के प्रावधान के तहत छूट जारी की गई है, अपीलार्थी जो पूरी तरह से अंधा नहीं है, लेकिन 70 प्रतिशत विकलांग है, उसे सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अधिनियम, 1995 में इस तरह के किसी भी प्रतिबंध का प्रावधान नहीं है कि पात्रता केवल उन लोगों की है जो 40% -50% की विकलांगता से पीड़ित हैं।

जब पद वी. सुरेंद्र मोहन बनाम था। स्टेट ऑफ तमिल नाडु [अशोक भूषण, जे.]

दिनांकित 11.04.2005 पत्र द्वारा पहचाने जाने पर केवल इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं था

40 % -50 % अक्षमता जिसे अब लागू करने की मांग की गई है। वह प्रस्तुत करता है कि उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में प्रस्तावित पर गलत तरीके से भरोसा किया है

तमिलनाडु राज्य न्यायिक सेवा (संवर्ग और भर्ती) नियम, 2007 का संशोधन, जो अभी तक अमल में नहीं आया है, पूरी तरह से अप्रासंगिक था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि किसी भी विशेषज्ञ समिति द्वारा यह निर्धारित नहीं किया गया था कि जो लोग 40% -50% विकलांगता से पीड़ित हैं, वे सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद के कार्यों का निर्वहन करने में सक्षम हैं। न तो उच्च न्यायालय ने और न ही राज्य सरकार ने किसी विशेषज्ञ का गठन किया

मामले के उपरोक्त पहलू को देखने के लिए समिति। उच्च न्यायालय सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग) के पद के लिए अक्षमता को 40% -50% की सीमा तक निर्धारित करने के लिए एक विशेषज्ञ निकाय नहीं है। 40% -50% का आंकड़ा जिसमें है

सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद के लिए पात्रता बिना किसी आधार के एक मनमाना आंकड़ा है। वह प्रस्तुत करता है कि

अपीलार्थी सहायक अभियोजन अधिकारी के रूप में 70 प्रतिशत अक्षमता के साथ काम कर रहा है, और इसलिए, वह सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग) के कर्तव्यों का पूरी तरह से निर्वहन कर सकता है। वह प्रस्तुत करता है कि अपीलार्थी को गलत तरीके से अयोग्य घोषित किया गया है, जिसके कारण वह सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के रूप में चुने जाने के अपने अधिकार से वंचित हो गया है, जिसका वह लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में अपने अंकों के अनुसार हकदार था।

08.08.2014 और उन्होंने टी. एन. पी. सी. द्वारा जारी दिनांकित 26.08.2014 अधिसूचना को चुनौती नहीं दी थी। वह प्रस्तुत करता है कि टी. एन. पी. सी. की अधिसूचना में 40% -50% पर विकलांगता की आवश्यकता निर्धारित की गई है, अधिसूचना को चुनौती दिए बिना अपीलार्थी यह तर्क नहीं दे सकता है कि वह पात्र है। वह प्रस्तुत करता है कि अपीलार्थी ने हालांकि संदर्भित किया था रिट याचिका के पैरा 3 में दिनांकित अधिसूचना (आई. डी. 1) लेकिन उक्त अधिसूचना को चुनौती देने में विफल रही जो उनकी रिट याचिका को खारिज करने के लिए पर्याप्त आधार है। वह प्रस्तुत करता है कि अपीलार्थी 70 प्रतिशत विकलांग होने के कारण सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद के चयन में भाग लेने के लिए अयोग्य है और उसकी रिट याचिका को सही ढंग से खारिज कर दिया गया है।

10. अपीलार्थी की प्रस्तुतियों का विरोध करने वाले उच्च न्यायालय के विद्वान वकील का तर्क है कि हालांकि अधिनियम के खंड 4 (जी) के अनुसार

दिनांक 26.08.2014 के विज्ञापन में यह उल्लेख किया गया था कि विकलांग व्यक्ति को शारीरिक अक्षमता की प्रकृति और अक्षमता की डिग्री निर्दिष्ट करते हुए शारीरिक फिटनेस के प्रमाण पत्र की एक प्रति अपलोड करने की आवश्यकता थी, लेकिन अपीलार्थी द्वारा दायर ऑनलाइन आवेदन में उसने अक्षमता प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया है। वह आगे अपने ऑनलाइन [2019] 1 एस. सी. आर. में प्रस्तुत करता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आवेदन में अपीलार्थी ने केवल यह उल्लेख किया है कि उसकी अक्षमता का प्रतिशत 40 प्रतिशत से अधिक है। अपीलार्थी द्वारा दिनांकित 10.10.2014 के अनुलग्नक पी. 6 के रूप में दाखिल किए गए अक्षमता प्रमाण पत्र का उल्लेख करते हुए विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि अक्षमता के प्रमाण पत्र प्रतिशत 70 प्रतिशत होने के अनुसार, अपीलार्थी चयन में भाग लेने के लिए अयोग्य है। वह आगे प्रस्तुत करता है

उस प्रमाण पत्र से यह नहीं पता चलता है कि अपीलार्थी सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग) के कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम होगा, और इसलिए, प्रमाण पत्र स्वयं यह स्पष्ट करता है कि अपीलार्थी सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग) के कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकता है। विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि 2007 के नियमों में प्रस्तावित संशोधन की वर्तमान मामले में उठाए गए मुद्दे के संबंध में कोई प्रासंगिकता नहीं है, टी. एन. पी. सी. के प्रस्ताव और उच्च न्यायालय की सहमति के बाद राज्य सरकार का निर्णय पहले से ही है कि केवल वे शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति पात्र होंगे जो दृष्टि हानि और श्रवण हानि से पीड़ित हैं जिनकी विकलांगता 40% -50% है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग) के कर्तव्यों की प्रकृति को देखते हुए अपीलार्थी को ऐसा व्यक्ति नहीं कहा जा सकता है जो सिविल न्यायाधीश के कर्तव्यों का पालन कर सकता है जिसे मामलों की सुनवाई करने, गवाहों के बयान दर्ज करने, दस्तावेजों को पढ़ने और फिर निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि रिट याचिका को खारिज करने में उच्च न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है।

11. पक्षकारसभक लेल विद्वान वकीलक द्वारा देल गेल निवेदन आ अभिलेख पर देल गेल अभिवचनसँ निम्नलिखित मुद्दा एहि अपीलमे विचार लेल उत्पन्न होइत अछि।

(1) क्या अपीलार्थी जो 70 प्रतिशत (दृष्टिबाधित) की अक्षमता से पीड़ित था, तमिलनाडु पब्लिक की अधिसूचना दिनांक 26.08.2014 के अनुसार चयन में भाग लेने के लिए पात्र था। सेवा आयोग?

(2) क्या विकलांग व्यक्तियों की आंशिक रूप से अंधे और आंशिक रूप से बधिर श्रेणियों के लिए 40% -50% विकलांगता की स्थिति एक वैध स्थिति है?

(3) क्या राज्य सरकार का दिनांकित 08.08.2014 पत्र के माध्यम से यह प्रावधान करने का निर्णय कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति जो आंशिक रूप से बधिर हैं और 40% -50% विकलांगता की सीमा तक आंशिक रूप से अंधे हैं, अकेले पात्र हैं, 1995 के अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है और इसे दरकिनार किया जाना चाहिए?
मुद्दा संख्या 1

12. न्यायिक सेवा के पद पर नियुक्ति तमिलनाडु राज्य न्यायिक सेवा (संवर्ग और भर्ती) नियम, 2007 वी. सुरेंद्र मोहन बनाम द्वारा विनियमित है।

(इसके बाद "नियम, 2007" के रूप में संदर्भित)। नियम 5 के अनुसार, जो "नियुक्ति की विधि, योग्यता और आयु आदि" का प्रावधान करता है।

सिविल जज को नियमों के अनुलग्नक-II में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तमिलनाडु लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और मौखिक परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरा जाता है। नियमों के अनुलग्नक-II में "प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा सिविल न्यायाधीश" शीर्षक था। उपखंड (1) में प्रावधान है कि तमिलनाडु लोक सेवा आयोग (इसके बाद) 'आयोग' के रूप में संदर्भित) सिविल न्यायाधीश के पद पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित करेगा, सरकार द्वारा एक अंग्रेजी दैनिक और एक तमिल दैनिक के माध्यम से रिपोर्ट की गई रिक्तियों के संदर्भ में, जिसका राज्य में व्यापक प्रसार है। उपखंड (2) में प्रावधान है कि एक उम्मीदवार जो उक्त पद पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन करता है, उसे अपने आवेदन के साथ सभी आवश्यक प्रमाणपत्रों की प्रतियां भेजनी चाहिए और

आयोग द्वारा जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट दस्तावेज। तमिलनाडु लोक सेवा आयोग ने एक अधिसूचना संख्या 15 / 2014 दिनांक 26.08.2014 सिविल जज के 162 पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। सामान्य जानकारी वाले खंड 4 के उपखंड एफ और उपखंड जी इस प्रकार हैं:

" एफ. G.O.Ms.No.53 में, समाज कल्याण और पौष्टिक भोजन

कार्यक्रम विभाग, दिनांक 11.04.2005, जी. ओ. (सुश्री) No.642, गृह (न्यायालय-I) विभाग, दिनांक 31.08.2012 और सरकार सिविल जज के पद की पहचान पी. डी./पी. बी./ओ. श्रेणियों के लिए उपयुक्त के रूप में की गई है।

अकेले भिन्न रूप से सक्षम व्यक्ति [पीडी-आंशिक रूप से बधिर (40) 50 % अक्षमता), पीबी-आंशिक रूप से दृष्टिहीन (40-50% अक्षमता), ओ-ऑर्थो]। उम्मीदवारों को पैरा 14 में निर्दिष्ट दस्तावेज़ अपलोड करने चाहिए।

(च) आयोग के 'उम्मीदवारों को निर्देश' जब बुलाए जाते हैं

के लिए।

जी. विकलांग व्यक्तियों को चिकित्सा बोर्ड से शारीरिक अक्षमता की प्रकृति और निर्धारित मानदंडों के आधार पर अक्षमता की डिग्री निर्दिष्ट करते हुए शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की एक प्रति अपलोड करनी चाहिए, इस प्रभाव से कि उनकी अक्षमता उन्हें सिविल न्यायाधीश के पद (जिसके लिए उन्हें पहले चुना गया है) से जुड़े कर्तव्यों का कुशलता से निर्वहन करने में असमर्थ नहीं बनाएगी।

बुलाए जाने पर नियुक्ति) "।

13. खंड एफ तीन सरकारी आदेशों 11.04.2005,31.08.2012 और 08.08.2014 को संदर्भित करता है। सरकारी आदेश दिनांक 11.04.2005 [2019] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह एक सरकारी आदेश था जिसके द्वारा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद की पहचान अधिनियम, 1995 की धारा 33 के तहत एक पद के रूप में की गई थी। सरकारी आदेश दिनांक 31.08.2012 एक सरकारी आदेश था जिसके द्वारा तमिलनाडु राज्य न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) और सिविल न्यायाधीश के पदों को पूर्ण अंधेपन और पूर्ण श्रवण हानि के संबंध में धारा 33 के प्रावधानों से छूट दी गई थी। सरकारी आदेश दिनांक 08.08.2014 ने सिविल न्यायाधीश के 162 पदों के चयन के लिए आंशिक रूप से नेत्रहीन और आंशिक रूप से बधिर के लिए अक्षमता के प्रतिशत को 40-50% के रूप में अधिसूचित करते हुए सिविल न्यायाधीश के पद पर चयन के साथ आगे बढ़ने के लिए उच्च न्यायालय के परामर्श से सरकार के निर्णय को सूचित किया। सरकारी आदेश दिनांक 08.08.2014 का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः -

यह बताना कि प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और नहीं चयन में देरी, उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु पर विचार किया है

लोक सेवा आयोग का दिनांकित 04.08.2014 पत्र और स्वीकार करता है सिविल के पदों के लिए चयन के साथ आगे बढ़ने का प्रस्ताव

आंशिक रूप से अक्षमता के प्रतिशत को 40-50% के रूप में अधिसूचित करते हुए न्यायाधीश

इसलिए मद्रास उच्च न्यायालय के महापंजीयक ने अनुरोध किया है 162 के लिए तुरंत अधिसूचना जारी करने के लिए आगे बढ़ना।

आंशिक रूप से विकलांग होने की घोषणा करने वाले सिविल न्यायाधीश के पद

अंधे और आंशिक रूप से बधिर, केवल वर्तमान चयन के लिए। की एक प्रति

डी. ओ. पत्र सातवां आपके संदर्भ के लिए संलग्न है।

2. मैं आपसे सूचित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करता हूं

162 सिविल जज के पद पर भर्ती के लिए रिक्तियां

तुरंत।

आपकी

वफादारी से

एसडी /

सरकार के प्रधान सचिव के लिए "

14. इस प्रकार, विज्ञापन में स्पष्ट रूप से सिविल के उस पद का प्रावधान किया गया था

न्यायाधीश की पहचान आंशिक रूप से बधिर/आंशिक रूप से अंधे/विकलांग व्यक्तियों (40% -50% विकलांगता) की ऑर्थो श्रेणियों के लिए उपयुक्त के रूप में की गई है। अक्षमता के प्रतिशत के कॉलम में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में, उन्होंने केवल "40 प्रतिशत से अधिक" का उल्लेख किया है। का प्रमाण पत्र

अक्षमता, जो अपीलार्थी द्वारा नियम, 2007 द्वारा आवश्यकतानुसार प्रस्तुत की गई थी और साथ ही कॉलम (3) "(3) में उल्लिखित विज्ञापन दिनांक 26.08.2014। उसके मामले में विकलांगता का प्रतिशत 70 प्रतिशत है।

इस प्रकार, वी. सुरेंद्र मोहन बनाम। स्टेट ऑफ तमिल नाडु [अशोक भूषण, जे.]

अपीलार्थी के मामले का स्वामित्व करने के लिए, वह 70 प्रतिशत की अक्षमता से पीड़ित था, जिसने उसे सिविल न्यायाधीश के पद के लिए अयोग्य बना दिया, जिसे अधिसूचना दिनांक 1 द्वारा विज्ञापित किया गया था क्योंकि पद के लिए आवश्यक अक्षमता थी।

केवल 40% -50% था। इस प्रकार, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र के अनुसार कि वह 70 प्रतिशत अक्षमता से पीड़ित है, वह अधिसूचना दिनांक 26.08.2014 के माध्यम से विज्ञापित पद के लिए अयोग्य था। इस मुद्दे का जवाब उसी के अनुसार दिया जाता है। 15. अपीलार्थी ने मद्रास उच्च न्यायालय में दायर अपनी रिट याचिका में हालांकि तमिल सरकार द्वारा जारी सिविल न्यायाधीशों के 162 पदों पर भर्ती के लिए दिनांकित 26.08.2014 अधिसूचना पर ध्यान दिया है।

तमिलनाडु लोक सेवा आयोग, लेकिन रिट याचिका में अब तक विज्ञापन के खंड एफ को चुनौती नहीं दी गई है, जिसमें उसने आंशिक रूप से नेत्रहीन और आंशिक रूप से बधिर के लिए 40% -50% की आवश्यकता निर्धारित की है। केवल प्रार्थना का पालन करें

बनाया गया थाः

" उपरोक्त कारणों से, यह माननीय न्यायालय किसी भी उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश को जारी करने के लिए प्रसन्न हो सकता है और विशेष रूप से सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) के पद के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए अभिलेखों की मांग करने और विवादित मौखिक परीक्षण सूची को रद्द करने के लिए प्रमाणित आदेश की प्रकृति में एक रिट जारी कर सकता है और इसके परिणामस्वरूप दूसरे उत्तरदाता को याचिकाकर्ता को मौखिक परीक्षा में भाग लेने की अनुमति देने और ऐसे अन्य और आगे के आदेशों को पारित करने का निर्देश दे सकता है जो उपयुक्त माने जाएं।

न्याय का अंत "।

अदालत और यहां तक कि अपीलार्थी द्वारा दायर संशोधन आवेदन में भी टी. एन. पी. सी. द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती नहीं दी गई थी। अपीलार्थी को पात्रता की शर्त पर सवाल उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

आंशिक अंधेपन के संबंध में अर्थात 40% -50% जब वह उक्त आवश्यकता के लिए 26.08.2014 दिनांकित विज्ञापन को चुनौती देने में विफल रहा। अपीलार्थी ने उपरोक्त विज्ञापन के अनुसरण में आवेदन किया और

लिखित परीक्षा में भाग लिया और जब उन्हें मौखिक परीक्षा के लिए नहीं बुलाया गया, तो उन्होंने रिट याचिका दायर की। यह उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के तहत था कि उन्हें मौखिक परीक्षण में भाग लेने की अनुमति दी गई थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश द्वारा अपीलार्थी का परिणाम घोषित नहीं करने का निर्देश दिया था। अपीलार्थी दिनांकित अधिसूचना के खंड 4 (एफ) को चुनौती देने में विफल रहने के कारण, उसे [2019] 1 एस. सी. आर. की शर्त को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

40 % -50 % आंशिक अंधापन। हम उच्च न्यायालय के विद्वान वकील की इस दलील से पूरी तरह सहमत हैं कि रिट याचिका केवल इसी आधार पर खारिज की जा सकती है।

मुद्दा Nos.2 और 3

17. मुद्दा संख्या। 2 और 3 आपस में जुड़े हुए हैं जिन्हें एक साथ लिया जाता है। सरकारी आदेश दिनांकित 08.08.2014 जैसा कि पहले ही निकाला जा चुका है

ऊपर, तमिलनाडु लोक सेवा आयोग को संबोधित करते हुए कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु लोक सेवा आयोग के दिनांकित 04.08.2014 पत्र पर विचार किया है और आंशिक रूप से नेत्रहीन और आंशिक रूप से बधिर के लिए विकलांगता के प्रतिशत को 40- 50% के रूप में अधिसूचित करते हुए सिविल न्यायाधीश के पदों के लिए चयन के साथ आगे बढ़ने के प्रस्ताव को स्वीकार करता है। इस प्रकार, सरकारी आदेश उच्च न्यायालय के उचित परामर्श के बाद जारी किया गया था, जो सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद के लिए आंशिक रूप से नेत्रहीन और आंशिक रूप से बधिर के लिए अक्षमता के प्रतिशत को 40% -50% के रूप में प्रदान करने पर सहमत था। आंशिक रूप से नेत्रहीन और आंशिक रूप से बधिर के लिए 40% -50% की शर्त एक वैध शर्त है या उक्त शर्त अधिनियम, 1995 के प्रावधानों का उल्लंघन है, इन प्रश्नों का उत्तर दिया जाना चाहिए। इस संबंध में अधिनियम, 1995 के कुछ प्रावधानों को देखना प्रासंगिक है। धारा 2 (बी) "अंधेपन" को निम्नलिखित तरीके से परिभाषित करती हैः -

(ख) "अंधापन" एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जहाँ एक व्यक्ति निम्नलिखित स्थितियों में से किसी से पीड़ित होता है, अर्थात्ः -

((i) दृष्टि की पूर्ण अनुपस्थिति। या ((ii) दृश्य तीक्ष्णता 6/60 या 20/200 (स्नेलन) से अधिक नहीं है।

सुधार लेंस के साथ बेहतर आंख; या

(iii) 20 के कोण को घटाते हुए दृष्टि क्षेत्र की सीमा

डिग्री या बदतर;

18. धारा 2 (i) अक्षमता को निम्नलिखित प्रभाव से परिभाषित करती हैः -

((i) "अक्षमता" का अर्थ है

((ii) कम दृष्टि; (iii) कुष्ठ रोग-ठीक हो गया;

((iv) श्रवण दोष;

(v) लोको मोटर अक्षमता; V. सुरेंद्र मोहन बनाम।

(vi) मानसिक मंदता;

((vii) मानसिक बीमारी;

19. अधिनियम, 1995 की धारा 2 (टी) निम्नलिखित शब्दों में 'विकलांग व्यक्ति' अभिव्यक्ति को परिभाषित करती हैः

धारा 2 (टी): " विकलांग व्यक्ति का अर्थ है किसी चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किसी भी विकलांगता के चालीस प्रतिशत से कम से पीड़ित व्यक्ति;
20. उपरोक्त परिभाषा का स्पष्ट रूप से अर्थ है कि विकलांग व्यक्ति

एक व्यक्ति है जो किसी भी विकलांगता के 40 प्रतिशत से कम से पीड़ित नहीं है। इस प्रकार, अधिनियम के तहत आरक्षण के लाभ का दावा केवल एक व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जो 40 प्रतिशत या उससे अधिक किसी भी विकलांगता से पीड़ित है।

21. वर्तमान मामले के प्रयोजनों के लिए, हम पूर्ण अंधेपन से संबंधित नहीं हैं, क्योंकि अधिसूचना दिनांक 31.08.2012 द्वारा, छूट

सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद के संदर्भ में अधिनियम, 1995 की धारा 33 के प्रावधान के तहत पहले ही पद के लिए पूर्ण अंधेपन और पूर्ण श्रवण हानि से छूट दी जा चुकी है। इस प्रकार वे

उम्मीदवार, जो पूरी तरह से अंधे हैं, स्पष्ट रूप से इस पद के लिए पात्र नहीं हैं। धारा 2 (यू) कम दृष्टि वाले व्यक्तियों को परिभाषित करती है, जो इस प्रकार हैः -

(यू) "कम दृष्टि वाले व्यक्ति" का अर्थ है उपचार या मानक अपवर्तक के बाद भी दृष्टि संबंधी कार्य में कमी वाला व्यक्ति।
सुधार लेकिन जो उपयुक्त सहायक उपकरण के साथ किसी कार्य की योजना या निष्पादन के लिए दृष्टि का उपयोग करता है या संभावित रूप से सक्षम है;

22. विकलांग (भिन्न रूप से विकलांग) व्यक्तियों के लिए अधिनियम, 1995 के तहत पदों का आरक्षण धारा 33 में प्रदान किया गया है, जो निम्नलिखित प्रभाव से हैः

33. प्रत्येक उपयुक्त सरकार प्रत्येक में नियुक्त करेगी।

रिक्तियों का ऐसा प्रतिशत स्थापित करना जो तीन प्रतिशत से कम न हो। विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग के लिए जिसका एक प्रतिशत हो। प्रत्येक विकलांग के लिए पहचाने गए पदों में (i) अंधापन या कम दृष्टि से पीड़ित व्यक्तियों के लिए आरक्षित होगा; (ii) सहनशक्ति में कमी; (iii) लोको मोटर विकलांगता या सेरेब्रल पाल्सीः बशर्ते कि उपयुक्त सरकार, को ध्यान में रखते हुए

किसी विभाग या प्रतिष्ठान में अधिसूचना द्वारा किए गए कार्य का प्रकार, ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, जो निर्दिष्ट की जाए [2019] 1 एस. सी. आर.

ऐसी अधिसूचना में, किसी भी प्रतिष्ठान को इस धारा के प्रावधानों से छूट दी गई है।

विज्ञापन सरकारी आदेश दिनांक 11.04.2005,31.08.2012 और 08.08.2014 को संदर्भित करता है। सरकारी आदेश दिनांक 11.04.2005 के अनुसार सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद की पहचान मद No.102 पर की गई थी। वस्तु No.102 जो पहले ही ऊपर निकाली जा चुकी है, यह स्पष्ट करती है कि नौकरी के लिए उपयुक्त विकलांग व्यक्तियों की श्रेणियां पी. बी./पी. डी./ओ. आर. टी. एच. ओ. (आंशिक रूप से नेत्रहीन/आंशिक रूप से बधिर/ऑर्थो) हैं। जैसा कि ऊपर देखा गया है कि पूर्ण अंधेपन को पहले ही छूट दी जा चुकी है, सिविल न्यायाधीशों (जूनियर डिवीजन) के दो पदों को विज्ञापन में आंशिक रूप से अंधे, आंशिक रूप से बधिर और ऑर्थो के लिए आरक्षित किया गया है। ऊपर उल्लिखित धारा 2 (टी) में अंधेपन को परिभाषित किया गया है। इस पद की पहचान आंशिक रूप से नेत्रहीन के लिए की गई है न कि पूरी तरह से नेत्रहीन के लिए। अंधे व्यक्ति। "विकलांग व्यक्ति" की धारा 2 (टी) के तहत परिभाषा के अनुसार, 40 प्रतिशत से अधिक अक्षमता वाले आंशिक रूप से नेत्रहीन व्यक्ति को वह व्यक्ति माना जाता है जो पात्रता के क्षेत्र में है।

24. आंशिक रूप से अंधा एक ऐसा शब्द है जिसे अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। अक्षमता आंशिक या पूर्ण, अस्थायी या स्थायी हो सकती है। हम हैं।

इस मामले में आंशिक अक्षमता से संबंधित है जो कुल नहीं है।

25. इस संदर्भ में अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील की प्रस्तुतियों में से एक पर विचार करने की आवश्यकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जो लोग 50 प्रतिशत से अधिक आंशिक अंधेपन से पीड़ित हैं, वे भी आंशिक अंधे हैं इसलिए उन्हें विचार से कैसे बाहर रखा जा सकता है। "आंशिक नेत्रहीन" शब्द एक सामान्य अवधारणा हो सकती है लेकिन जहां नौकरी की प्रकृति को देखते हुए एक प्रतिशत तय किया गया है, यह नहीं कहा जा सकता है कि सभी आंशिक रूप से नेत्रहीन पात्र हैं। प्राप्त करने की मांग की गई वस्तु के संबंध में एक वैध वर्गीकरण है, जब पात्रता अक्षमता के 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक निर्धारित की जाती है। इस संदर्भ में, यह ध्यान देना प्रासंगिक है कि जब सरकारी आदेश दिनांक 11.04.2005 द्वारा पदों की पहचान वस्तु No.102 के रूप में की गई थी, तो सरकारी आदेश द्वारा भौतिक आवश्यकताओं का भी उल्लेख किया गया था जो निम्नलिखित शब्दों के लिए थीं:

" एस/एसटी/डब्ल्यू/एसई/एच/आरडब्ल्यू "

26. सरकारी आदेश दिनांक 11.04.2005 में भौतिक आवश्यकताओं की शर्तों की व्याख्या की गई है, जो निम्नलिखित प्रभाव से हैं:

वी. सुरेंद्र मोहन बनाम। स्टेट ऑफ तमिल नाडु [अशोक भूषण, जे.]

Sl.No। कोड

शारीरिक आवश्यकताएँ

बैठने से किया जाने वाला कार्य

1

एस.

खड़े होकर किया गया कार्य

एसटी

2

पढ़ना/लिखना द्वारा किया गया कार्य

आरडब्ल्यू

3

चलने से किया गया कार्य

4

बेंडिंग द्वारा किया गया कार्य

बी.

5

देखने से किया गया शब्द

6

एस. ई.

सुनना/बोलना द्वारा किया गया कार्य

एच.

7

इस प्रकार, जैसा कि ऊपर देखा गया है, शारीरिक आवश्यकताओं वाले आंशिक रूप से अंधे और आंशिक रूप से बधिर की पहचान सिविल जज (जूनियर) के पद के लिए की गई थी।

प्रभाग)। सिविल जज (जूनियर डिवीजन) की नौकरी की प्रकृति को देखते हुए शारीरिक आवश्यकताओं को निर्दिष्ट किया गया था। आंशिक रूप से अंधे और आंशिक रूप से बधिर शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को नियुक्त करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए 40% -50% की आंशिक रूप से अंधे और आंशिक रूप से बधिर विकलांगता को निर्धारित किया गया है जो सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम हैं। जैसा कि ऊपर देखा गया है कि राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय और टी. एन. पी. सी. के परामर्श के बाद सभी प्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखते हुए आंशिक रूप से नेत्रहीन और आंशिक रूप से बधिर लोगों को 40% -50% के रूप में निर्दिष्ट करते हुए दिनांक 08.08.2014 का सरकारी आदेश जारी किया गया था। इस संदर्भ में, यह ध्यान देना प्रासंगिक है कि सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग) के पद के लिए सरकार द्वारा दिनांक 1 के आदेश द्वारा पहचानी गई भौतिक आवश्यकताओं को अंततः वैधानिक नियमों में शामिल कर लिया गया है। तमिलनाडु राज्य न्यायिक सेवा (संवर्ग और भर्ती) नियम, 2007 को सरकारी आदेश दिनांक 03.04.2018 द्वारा संशोधित किया गया है। संशोधित नियम 10 इस प्रकार हैः

* 10 . नियुक्तियों का आरक्षणः

नियुक्ति के आरक्षण से संबंधित तमिलनाडु सरकारी कर्मचारी (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2016 (2016 का तमिलनाडु अधिनियम 14) की धारा 27 और विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का केंद्रीय अधिनियम 49) की धारा 34 लागू होगी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) और सिविल न्यायाधीश के संवर्गों में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए।

बशर्ते कि चार प्रतिशत रिक्तियां निम्नलिखित "बेंचमार्क विकलांग" व्यक्तियों के लिए आरक्षित की जाएंगी, अर्थात्:

((i)। निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्तियों के लिए एक प्रतिशत 'लोकोमोटर अक्षमता' की श्रेणी के तहत अक्षमता (जैसा कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 से जुड़ी अनुसूची में परिभाषित किया गया है):

(क) एक हाथ, एक पैर और दोनों पैरों की लोकोमोटर अक्षमता; (ख) कुष्ठ रोग से ठीक व्यक्ति;

(ग) बौनापन; (घ) एसिड हमले के पीड़ित;

व्याख्याः - रोस्टर अंक उम्मीदवारों के लिए होते हैं उक्त केंद्रीय अधिनियम की धारा 34 की उप-धारा (1) के खंड (डी) और (ई) में उल्लिखित बेंचमार्क अक्षमताओं को उम्मीदवारों को ऊपर उल्लिखित श्रेणियों (i) से (iii) में उसी क्रम में आवंटित किया जाएगाः

बशर्ते कि केवल निम्नलिखित शारीरिक गतिविधियाँ करने वाले उम्मीदवार पात्र हैंः

(क)-बैठ कर किया गया कार्य-सेंट

(ख)-स्थायी-एसटी द्वारा किया गया कार्य

(घ)-देखने से किया गया कार्य-एस. ई. (ई)-श्रवण द्वारा किया गया कार्य-एच. वी. सुरेंद्र मोहन बनाम।

स्टेट ऑफ तमिल नाडु [अशोक भूषण, जे.]

(च)-पढ़ना और लिखना द्वारा किया गया कार्य-आर. डब्ल्यू.

(छ)-संवाद (संवाद में मौखिक भी शामिल होगा।

या गैर-मौखिक संचार)-सी।

27. नियम 10 की व्याख्या में भौतिक शामिल है

आवश्यकताएँ जो पहले दिनांकित सरकारी आदेश में देखी गई थीं

11.04.2005 . यह सच है कि सरकारी आदेश दिनांक 2 द्वारा नियम 10 में किए गए संशोधन का कोई आवेदन नहीं है और वर्तमान मामले में मुद्दे को निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक नहीं है, लेकिन नियम 10 के स्पष्टीकरण में एक परंतुक को शामिल करना नियम बनाने वाले प्राधिकरण के इरादे को प्रकट करता है जो पहले दिनांक 1 के कार्यकारी आदेश में प्रकट किया गया था।

28. इस मामले का एक और महत्वपूर्ण पहलू है, जिससे निपटने की आवश्यकता है। भारत के संविधान के तहत, न्यायिक सेवाओं पर नियंत्रण संबंधित उच्च न्यायालय के पास निहित है। इस संदर्भ में भारत के संविधान के अनुच्छेद 233,234 और 235 का उल्लेख किया जा सकता है। वर्तमान में

मामला सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर भर्ती का मामला है, जिसकी भर्ती मद्रास उच्च न्यायालय और तमिलनाडु लोक सेवा आयोग के परामर्श से तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 233,233 ए, 234,235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और अनुच्छेद 309 के प्रावधान का प्रयोग करते हुए बनाए गए नियम, 2007 के अनुसार की जाती है, जो नीचे दिए गए नियमों के शुरुआती शब्दों से स्पष्ट हैः

" अनुच्छेद 233,233 ए, 234,235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान का प्रयोग करते हुए, तमिलनाडु के राज्यपाल ने उच्च न्यायालय के परामर्श से,

मद्रास और तमिलनाडु लोक सेवा आयोग, जहाँ भी आवश्यक हो, निम्नलिखित नियम बनाता हैः

29. लोक सेवा होने के नाते न्यायिक सेवा को संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 41 सूची II में शामिल किया गया है। प्रविष्टि 41, अर्थात राज्य लोक सेवाओं पर कानून बनाने की क्षमता रखने वाला राज्य; राज्य लोक सेवा आयोग के पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 154 के तहत कार्यकारी शक्ति भी है। इस प्रकार, राज्य सरकार भर्ती के संबंध में कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से सक्षम थी

सांविधिक नियम, 2007 के पूरक सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग) का पद।

30. इस स्तर पर, हम प्रस्तुतियों में से एक पर विचार कर सकते हैं, जिसे अपीलार्थियों के विद्वान वकील द्वारा उठाया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपीलार्थी के वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने नियम, 2007 में प्रस्तावित संशोधनों पर भरोसा किया है, जो राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के प्रशासनिक पक्ष के अनुसरण में किया गया था।

2008 की रिट याचिका संख्या 27089 में मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के निर्णय का। उच्च न्यायालय ने पैराग्राफ संख्या 22 (xii) में सरकारी आदेश दिनांक 14.03.2013 पर ध्यान दिया है जिसके द्वारा तमिलनाडु सरकार ने भर्ती नियमों विशेष रूप से नियम 10 में संशोधन के लिए अनुमोदन की मांग करते हुए उच्च न्यायालय को दिनांकित 06.02.2013 पत्र भेजा है। नियम 5 और 10 में प्रस्तावित संशोधन का एक मसौदा भी पैराग्राफ संख्या 22 (xii) में निकाला गया था।

31. विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि प्रस्तावित संशोधन उच्च न्यायालय के विचाराधीन था और कई पत्राचार किए गए थे

उच्च न्यायालय और तमिलनाडु राज्य के बीच स्थगन लेकिन चयन के पूरा होने तक संशोधनों को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका इसलिए प्रस्तावित संशोधनों पर उच्च न्यायालय द्वारा निर्भरता पूरी तरह से अनावश्यक थी। उच्च न्यायालय ने यह भी देखा है कि पूर्ण न्यायालय दिनांक 05.07.2014 के प्रस्ताव द्वारा, मामले को नियम समिति को भेजा गया था, लेकिन इससे पहले कि नियम समिति निर्णय ले सके,

162 पदों का चयन शुरू हो गया था। उच्च न्यायालय ने उपरोक्त तथ्य पर ध्यान देने के बाद लोक सेवा आयोग द्वारा सरकार से सहमति लेने के लिए भेजे गए बाद के दिनांक 04.08.2014 पर भी ध्यान दिया है।

सरकार आंशिक रूप से नेत्रहीन और आंशिक रूप से बधिर उम्मीदवारों के लिए भर्ती, 40% -50% विकलांगता को ठीक करने के लिए एक अधिसूचना जारी करेगी। प्रासंगिक तथ्य

इस संदर्भ में पैराग्राफ नंबर 22 (xviii) में देखा गया है, जो निम्नलिखित प्रभाव से हैः

सरकार आंशिक रूप से नेत्रहीन और आंशिक रूप से बधिर उम्मीदवारों के लिए भर्ती, 40-50% विकलांगता को ठीक करने के लिए एक अधिसूचना जारी करेगी। सरकार ने उच्च न्यायालय की राय मांगी और उच्च न्यायालय ने कोई आपत्ति नहीं दी। इसके बाद, सरकार ने जारी किया केवल वर्तमान चयन के लिए आंशिक रूप से नेत्रहीन और आंशिक रूप से बधिर के लिए अक्षमता के प्रतिशत को 40-50% के रूप में अधिसूचित करके, सेवा आयोग को 162 सिविल न्यायाधीशों के चयन की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश देते हुए दिनांक 8.8.2014 का विवादित संचार। यही कारण है कि अनुच्छेद 4। एफ को लोक सेवा आयोग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 15/2014 दिनांक 26.8.2014 में शामिल किया गया था। वी. सुरेंद्र मोहन बनाम।

स्टेट ऑफ तमिल नाडु [अशोक भूषण, जे.]

32. इस प्रकार, उच्च न्यायालय अच्छी तरह से जानता था कि लोक सेवा आयोग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 26.08.2014 पर शुरू की गई थी

सरकारी आदेश दिनांक 1 के आधार और प्रस्तावित नियमों के संशोधन का लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन से कोई लेना-देना नहीं था। 26.08.2014 दिनांकित विज्ञापन में विशेष रूप से सरकार के दिनांकित जी. ओ. का भी उल्लेख किया गया है।

08.08.2014 . इस प्रकार, विचाराधीन भर्ती में नियमों में प्रस्तावित संशोधन ने न तो कोई भूमिका निभाई और न ही इसकी कोई प्रासंगिकता थी। उच्च न्यायालय ने तथ्यों को पूरा करने के लिए उपरोक्त तथ्यों पर ध्यान दिया है। यह स्पष्ट है कि प्रस्तावित संशोधनों की कोई प्रासंगिकता नहीं थी - विचाराधीन भर्ती। अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील का यह निवेदन कि उच्च न्यायालय ने प्रस्तावित संशोधनों पर भरोसा किया है, इस प्रकार, कोई सार नहीं है।

33. अब हम फिर से संवैधानिक योजना पर लौटते हैं।

अधीनस्थ न्यायपालिका के संबंध में। अधिनियम, 1995 की धारा 33 विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग के लिए आरक्षण प्रदान करती है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 (1) के लिए संदर्भित है। इस न्यायालय को बिहार राज्य में भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 (4) और एक अन्य बनाम बाल मुकुंद साह और अन्य, (2000) 4 एस. सी. सी. 640 के लिए संदर्भित राज्य विधान पर विचार करने का अवसर मिला था। उपरोक्त मामले में एक संविधान पीठ के पास एक प्रश्न पर विचार करने का अवसर था -

बिहार आरक्षण नामक राज्य विधान के संदर्भ में बिहार राज्य में जिला न्यायाधीशों और अन्य न्यायिक अधिकारियों की भर्ती

पदों और सेवाओं में रिक्तियां (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991। उपरोक्त अधिनियम, 1991 द्वारा राज्य की न्यायपालिका में पदों पर सीधी भर्ती के लिए आरक्षण प्रदान किया गया था। अधिनियम, 1991 के अनुसार पदों को आरक्षित करने के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, जिसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने विज्ञापन की उन शर्तों को रद्द कर दिया है जो इसे संविधान के अनुच्छेद 233 के प्रावधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर मानती हैं। बिहार राज्य इस मामले को इस न्यायालय में ले गया। उपरोक्त मामले में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ राज्य अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए आरक्षण के संदर्भ में न्यायिक सेवा में भर्ती के मुद्दे की जांच करने आई थी। अनुच्छेद 233,234,235 और 309 के तहत संवैधानिक योजना और न्यायिक अधिकारियों की भर्ती के लिए राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियमों पर ध्यान देने के बाद, इस न्यायालय ने पैराग्राफ संख्या 29 में निम्नलिखित निर्धारित कियाः

" 29 .

.....लेकिन जहाँ तक प्रवेश बिंदुओं का संबंध है,

अर्थात्, पीठासीन [2019] 1 एस. सी. आर. के पदों पर भर्ती और नियुक्ति।

उच्च न्यायालयों के अधीनस्थ न्यायालयों के अधिकारी, केवल अनुच्छेद 233 और 234 इस क्षेत्र को नियंत्रित करेंगे। अनुच्छेद 234 1955 के नियमों द्वारा निर्धारित अधीनस्थ न्यायाधीशों और मुन्सिफों के रूप में जमीनी स्तर पर न्यायिक अधिकारियों की भर्ती की प्रक्रिया और विधि निर्धारित करता है। ये नियम बिहार के राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 234 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्पष्ट रूप से तैयार किए गए हैं। उच्च न्यायालय और लोक सेवा का परामर्श

आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली चयन प्रक्रिया के बारे में नियम, जैसा कि नियम 4 से 17 में पाया गया है, उन उम्मीदवारों का चयन करते समय लोक सेवा आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली विधि से संबंधित है जो भरे जाने वाले विज्ञापित पदों के लिए अपनी उम्मीदवारी की पेशकश करते हैं। जाहिर है ये नियम चयन प्रक्रिया के प्रक्रियात्मक पहलू पर आयोग के साथ परामर्श की आवश्यकता है। लेकिन जहां तक उच्च न्यायालय का संबंध है, उसका परामर्श अनुच्छेद 233 के बल से ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हो जाता है क्योंकि यह उच्च न्यायालय है जिसे उम्मीदवारों को नियंत्रित करना होता है, जिन्हें अंततः चयन होने पर न्यायपालिका के सबसे निचले स्तर पर न्यायाधीशों के रूप में कार्य करना होता है और जिनकी नियुक्ति, पदोन्नति और छुट्टी प्रदान करना और अन्य न्यायिक नियंत्रण केवल अनुच्छेद 233 में निहित होता है।

उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 235 के पहले भाग के अनुसार, एक बार जब वे जमीनी स्तर पर न्यायिक सेवा में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार अनुच्छेद 234 के तहत उच्च न्यायालय के साथ राज्यपाल का परामर्श पूरी तरह से अलग है।

लोक सेवा के साथ उनके परामर्श की तुलना में प्रकार

के प्रक्रियात्मक पहलू के बारे में आयोग चयन करें।

34. इस न्यायालय ने निर्धारित किया है कि अनुच्छेद 309 और 245 दोनों को अनुच्छेद 233 और 234 के अधीन पढ़ा जाएगा। पैराग्राफ नंबर 32 में,

पंख लगा दिया गया हैः

" 32. यह सच है, जैसा कि विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री द्विवेदी ने अपीलार्थी राज्य की ओर से प्रस्तुत किया है कि अनुच्छेद 16 (4) के तहत राज्य सेवाओं में आरक्षण प्रदान करने में सक्षम है। लेकिन जहां तक "न्यायिक सेवा" का संबंध है, ऐसा आरक्षण राज्यपाल द्वारा अपने शासन-निर्माण की शक्ति का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद ही किया जा सकता है। जिला न्यायपालिका और अधीनस्थ न्यायपालिका में भर्ती को विनियमित करने के लिए उच्च न्यायालय के साथ परामर्श करने के लिए किसी भी वैधानिक प्रावधान का अधिनियमन स्पष्ट रूप से अधीनस्थ न्यायपालिका और वी. सुरेंद्र मोहन बनाम की भर्ती और नियुक्ति की पूरी योजना के सामने होगा।

ऐसी नियुक्तियों के संबंध में विशेष क्षेत्र निर्धारित किया गया है अनुच्छेद 233 और 234 द्वारा। ऐसा नहीं है कि उच्च न्यायालय संवैधानिक पदाधिकारी होने के नाते उपयुक्त मामलों में यदि आवश्यक हो तो आरक्षण की योजना की आवश्यकता से अनजान हो सकते हैं।

अनुच्छेद 16 (4) के तहत सक्षम प्रावधान का सहारा लेना। अनुच्छेद 233 और 234 के तहत भर्ती को नियंत्रित करने के लिए आरक्षण के संबंध में उचित नियम बनाने के लिए राज्यपाल उच्च न्यायालयों से परामर्श ले सकते हैं। लेकिन जब तक ऐसा नहीं किया जाता है, तब तक विधानमंडल, अप्रत्यक्ष तरीके से, उच्च न्यायालय को पूरी तरह से दरकिनार करके और अपनी विधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए, संविधान निर्माताओं द्वारा परिकल्पित जिला न्यायपालिका में भर्ती और नियुक्ति की योजना को दरकिनार और काट नहीं सकता है। इस तरह की कवायद, संवैधानिक योजना द्वारा पूरी तरह से निषिद्ध होने के अलावा, "अलगाव" से संबंधित अवधारणा पर भी गलत होगी। विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के साथ-साथ "स्वतंत्र न्यायपालिका" की मौलिक अवधारणा।

इन दोनों अवधारणाओं को अब संविधान की बुनियादी संरचना के स्तर तक बढ़ा दिया गया है और ये संवैधानिक योजना के केंद्र में हैं।

35. ऊपर देखे गए तथ्यों से राज्य सरकार ने लोक सेवा आयोग के साथ-साथ उच्च न्यायालय दोनों से परामर्श किया है

सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर विकलांग व्यक्तियों की नियुक्ति के संबंध में। राज्य सरकार, लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय के विचार में आम सहमति है कि आंशिक रूप से नेत्रहीन और आंशिक रूप से बधिर व्यक्तियों को विकलांग होने की अनुमति दी जाए।

भर्ती में भाग लें, जिनके पास 40% -50% की अक्षमता है। उच्च न्यायालय न्यायिक सेवा में नियुक्ति की आवश्यकताओं के बारे में अच्छी तरह से जानता है और यह अधीनस्थ न्यायपालिका का संरक्षक होने के नाते, एक व्यक्ति की पात्रता में अपनी बात रखता है, जो सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) के पद पर नियुक्ति चाहता है। न्यायिक सेवा लोक सेवा का हिस्सा होने के कारण, उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य को नियुक्ति करने का पूरी तरह से अधिकार है।

सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर चयन के लिए योग्यताएँ। सरकारी आदेश दिनांक 08.08.2014 नियम, 2007 का पूरक है और किसी भी तरह से नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है। 40% -50% अक्षमता होने की शर्त निर्धारित की गई थी लोक सेवा आयोग उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद तमिलनाडु राज्य द्वारा जारी सरकारी आदेश के अनुसार। उपरोक्त शर्त को किसी भी तरह से अमान्य नहीं कहा जा सकता है।

क्योंकि अपीलार्थी ने प्रस्तुत किया है कि आंशिक दृष्टिहीनता वाले व्यक्तियों के संदर्भ में अक्षमता को 40% - 50% तक सीमित करना स्पष्ट रूप से अधिनियम, 1995 की धारा 33 के तहत प्रदान किए गए आरक्षण से इनकार करना है और अधिनियम की धारा 33 के अनुरूप नहीं है।

36. अधिनियम, 1995 की धारा 33 की अपेक्षा है कि प्रत्येक उपयुक्त

सरकार प्रत्येक प्रतिष्ठान में व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग के लिए रिक्तियों का ऐसा प्रतिशत नियुक्त करेगी जो तीन प्रतिशत से कम न हो।

अक्षमता वाले व्यक्तियों के लिए, जिनमें से प्रत्येक का एक प्रतिशत दृष्टिहीनता या कम दृष्टि से पीड़ित व्यक्तियों के लिए आरक्षित होगा। भारत सरकार बनाम में यह न्यायालय। रवि प्रकाश गुप्ता और अन्य, (2010) 7 एस. सी. सी. 626, ने पैराग्राफ संख्या 29 में निर्धारित किया कि धारा 33 में उल्लिखित तीन श्रेणियों के लिए आरक्षित पदों की संख्या में नियुक्तियां करने का कर्तव्य उपयुक्त सरकार पर डाला गया है। पैराग्राफ No.29 में निम्नलिखित देखा गया थाः

" 29 .....

.....दूसरे शब्दों में, धारा के तहत आरक्षण

33 अधिनियम की पहचान पर निर्भर नहीं है, जैसा कि उसकी ओर से आग्रह किया गया है

भारत संघ के, हालांकि एक कर्तव्य पर डाला गया है

नियुक्तियाँ करने के लिए उपयुक्त सरकार
धारा 33 में उल्लिखित तीन श्रेणियों के लिए आरक्षित पद

विकलांग व्यक्तियों के संबंध में अधिनियम

उसमें लिखा है।

99

37. भारत संघ में यह न्यायालय और एक अन्य बनाम राष्ट्रीय

फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड एंड अदर्स, (2013) 10 एस. सी. सी. 772 ने अधिनियम, 1995 के उद्देश्यों और कारणों की विस्तार से जांच की है और पैराग्राफ संख्या 24 में निम्नलिखित निर्धारित किया हैः

" 24. हालाँकि, भारत में विकलांग अधिकार आंदोलन

इसकी शुरुआत बहुत पहले 1977 में हुई थी, जिसमें से उत्तरदाता 1
एक सक्रिय प्रतिभागी था, इसने केवल आवश्यक मंजूरी प्राप्त की

विकलांग व्यक्तियों के एशियाई और प्रशांत दशक का शुभारंभ

1993-2002 में, जिसने आंदोलन को एक निश्चित बढ़ावा दिया। द. इस बैठक से जो मुख्य आवश्यकता सामने आई, वह थी एक व्यापक

विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून। इसमें

प्रकाश में, महत्वपूर्ण कानून 1995 में अधिनियमित किया गया था। व्यक्तियों को

विकलांग (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और

पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 जो व्यक्तियों को सशक्त बनाता है

अक्षमताएँ और उनके अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। अधिनियम में

इसकी अन्य संभावनाओं के अलावा, बेहतर रोजगार की भी तलाश है

वी. सुरेंद्र मोहन बनाम के आरक्षण के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों के लिए अवसर।

स्टेट ऑफ तमिल नाडु [अशोक भूषण, जे.]

पद और उनके लिए एक विशेष रोजगार विनिमय की स्थापना। उसी के लिए, अधिनियम की धारा 32 उन पदों की पहचान के लिए निर्धारित करती है जो विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं। धारा 33 में पदों के आरक्षण का प्रावधान है और इसकी धारा 36 में यह प्रावधान है कि यदि किसी विकलांग व्यक्ति की अनुपलब्धता के कारण कोई रिक्ति नहीं भरी जाती है, तो किसी भी भर्ती वर्ष में ऐसी रिक्ति को अगले भर्ती वर्ष में आगे बढ़ाया जाना है। अपीलार्थियों और उत्तरदाताओं के बीच मतभेद इस बिंदु पर उत्पन्न होता है -

इन खंडों की व्याख्या "।

38. उपरोक्त मामले में, इस न्यायालय के पास अधिनियम, 1995 की धारा 33 पर विचार करने का अवसर है। इस न्यायालय ने 3 प्रतिशत की गणना करने के तरीके पर विचार किया

सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद के लिए पात्रता का प्रावधान धारा 33 के प्रावधानों के साथ-साथ अधिनियम के उद्देश्य को भी विफल कर देगा। 39. विकलांग व्यक्तियों के लिए पदों के आरक्षण के संबंध में कानूनी स्थिति अब अच्छी तरह से स्थापित हो गई है कि प्रत्येक उपयुक्त सरकार व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग के लिए पद आरक्षित करने के लिए बाध्य है।

विकलांगता के साथ। वर्तमान मामले में, हम आंशिक रूप से चिंतित हैं

अक्षमता। वर्तमान ऐसा मामला नहीं है जहां प्रत्यर्थी ने अधिनियम, 1995 की धारा 33 द्वारा आवश्यक आंशिक विकलांगता के लिए पद आरक्षित नहीं किया है। इस प्रकार, धारा 33 द्वारा अनिवार्य आरक्षण की आवश्यकता स्पष्ट रूप से पूरी होती है। मुद्दा अपीलार्थी की भाग लेने की पात्रता के बारे में है

चयन और क्या विज्ञापन में आवश्यकता है कि

केवल वे लोग, जो 40% -50% की अक्षमता से पीड़ित हैं, पात्र हैं, अधिनियम, 1995 के विपरीत हैं या किसी भी वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन कर रहे हैं। राज्य, जो सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद के संदर्भ में उच्च न्यायालय के परामर्श से लोक सेवा प्राधिकरण की नियुक्ति कर रहा है, इस पद के लिए आवश्यक योग्यताओं और आवश्यकताओं को बहुत अच्छी तरह से निर्धारित कर सकता है। जब राज्य, उच्च न्यायालय और लोक सेवा आयोग का विचार है कि सिविल न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त अक्षमता 40% -50% के बीच होनी चाहिए, तो उक्त पर्ची किसी भी वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं करती है और न ही अधिनियम, [2019] 1 एस. सी. आर. के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करती है।

1995. यह निर्धारित करने के लिए प्राधिकरण नियुक्त करने की शक्ति के भीतर है

नौकरी की प्रकृति को देखते हुए पात्रता, जिसे किसी पद के धारक द्वारा किया जाना है।

40. किसी राज्य में न्यायिक अधिकारी के पास मामलों की सुनवाई करने के लिए सुनवाई, देखने और बोलने की क्षमता की उचित सीमा होनी चाहिए और

निर्णय लिखना और इसलिए, पद के लिए पात्र होने की शर्त के रूप में श्रवण हानि या दृष्टि हानि में 50 प्रतिशत अक्षमता की सीमा निर्धारित करना एक वैध प्रतिबंध है यानी उचित, तार्किक और उचित। द.

उच्च न्यायालय ने अपने अतिरिक्त बयान में सिविल न्यायाधीश के कार्यों और कर्तव्यों को निम्नलिखित शब्दों में शामिल किया हैः

" 7. जहाँ तक न्यायिक अधिकारियों के कार्यों और कर्तव्यों के निर्वहन का क्षेत्र है। , सिविल न्यायाधीशों को चिंता है कि इसमें कठिन कर्तव्यों का पालन शामिल हैः - उन्हें दस्तावेजों, अभिवचनों और निश्चित तथ्यों और मुद्दों को पढ़ना होगा; यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही की निगरानी करनी होगी कि सभी लागू होने वाले नियमों और प्रक्रियाओं का बिना किसी उल्लंघन के सख्ती से पालन किया जाए; अधिवक्ताओं, वादियों और न्यायालय को सलाह देनी होगी। आचरण, मुद्दों और कार्यवाही के संबंध में कर्मी; विवादों को हल करने में मदद करने के लिए न्यायिक कार्यवाही में भाग लेते हैं; सुनवाई की अध्यक्षता करते हैं और वादी और प्रतिवादियों द्वारा लगाए गए आरोपों को यह निर्धारित करने के लिए सुनते हैं कि क्या सबूत आरोपों का समर्थन करते हैं या

किए गए कथन; साक्ष्य और दस्तावेजों को पढ़ने और उनका विश्लेषण करने के बाद स्वतंत्र रूप से मामलों पर निर्णय लिखें; साक्ष्य दर्ज करते समय गवाहों के आचरण आदि का निरीक्षण करें। बिगड़ी हुई दृष्टि केवल इनमें से किसी भी कार्य को करना बेहद कठिन, यहां तक कि असंभव भी बना सकती है। इन सब के अलावा, उसे पूछताछ करने, मृत्यु घोषणाओं को रिकॉर्ड करने, पहचान परेड से गुजरने, पीड़ितों के बयान दर्ज करने, कैमरे में कार्यवाही करने, रिमांड और विस्तार पर आदेश पारित करने और अन्य प्रशासनिक कार्यों जैसे कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। जहाँ तक जिला न्यायाधीशों का संबंध है, उन्हें अपने सामान्य न्यायिक कर्तव्यों का पालन करने के अलावा असंख्य प्रशासनिक कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है

भी। इसलिए, 50 प्रतिशत के स्तर से परे विकलांग लोगों के लिए नियुक्ति में कोई भी आरक्षण बनाना उचित नहीं है क्योंकि यह व्यावहारिक और अन्य प्रतीत होने वाली जटिलताओं को पैदा कर सकता है। इसके अलावा, गोपनीय तरीके से मामले के कागजात और अन्य सामग्री रिकॉर्ड के आधार पर निर्णय तैयार करने की आवश्यकता को देखते हुए, एक लेखक या इसी तरह की सहायता पद की मांगों के साथ आने वाली गोपनीयता और विवेक को पूरी तरह से दूर कर देती है। वी. सुरेंद्र मोहन बनाम।

स्टेट ऑफ तमिल नाडु [अशोक भूषण, जे.]

41. प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा ऊपर दिए गए कारणों ने 50 प्रतिशत की सीमा तक विकलांगता की आवश्यकता को पूरी तरह से उचित ठहराया जो है -

उचित, न्यायसंगत और निष्पक्ष। उच्च न्यायालय ने कोई त्रुटि नहीं की

अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करना। पूर्वगामी चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, हम, इस प्रकार, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद के लिए भर्ती के लिए 40% - 50% की सीमा तक विकलांगता का प्रिस्क्रिप्शन वैध था और अधिनियम, 1995 के किसी भी प्रावधान या किसी अन्य वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है। मुद्दा संख्या। 2 और 3 को तदनुसार उत्तर दिया जाता है। इस प्रकार, हम इस अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं और तदनुसार इसे खारिज कर दिया जाता है।

याचिका खारिज कर दी गई।

अंकित ज्ञान